



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272029
CG-DL-E-24042026-272029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1973]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2046(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150ई के कि.मी. 97/600 से कि.मी. 98/350 में प्रमुख बोरी नदी पर (अक्लकोट-गाणगापूर खंड) (कुल एवम-0.750 कि.मी.) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ाकरण, पेव्ड शोल्डर सहित /दो लेन ब्रिज एप्रोचेस का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.७ (मोहोळ), सोलापुर को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में

या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग १५०ई के कि.मी.९७/६०० से कि.मी.९८/३५० में प्रमुख बोरी नदी पर (अक्कलकोट-गाणगापूर खंड) (कुल एवम-०.७५० कि.मी.) लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: इटगे					
1	69	निजी	जिरायत	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
Total					0.05

[फा. सं. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2046(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Construction of Bori River (widening/Two lane with paved shoulder/Bridge approaches, etc) maintenance, management and operation of National Highway No. 150E in the stretch of land from Km 97/600 to Km 98/350 (Akkalkot-Ganagapur Section) Total length-0.750 Km in the district of Solapur in the state of Maharashtra**

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Deputy Collector Land Acquisition No.7 (Mohol), Solapur** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway 150E construction of Bori river within the stretch of the land from Km 97/600 to Km 98/350 (Akkalkot-Ganagapur Section) Total length-0.750 Km in the district of Solapur in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akkalkot					
Village: Itage					
1	69	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
Total					0.05

[F. No. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director